न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—56/2019

1. राजकौर उम्र— वर्ष पुत्री गुलजारसिंह पत्नी मनदीपसिंह जाति नाईसिख निवासी चक 6 एमकेए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.)

—— प्रार्थीया

बनाम्

1. गुलजारसिंह पुत्र लालसिंह जाति नाईसिख निवासी चक 30 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला—श्रीगंगानगर(राज.)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ़
3. उप पंजीयक, अनूपगढ़

——अप्रार्थीगण

4. माया पुत्री गुलजार पत्नी कुलदीपसिंह जाति नाईसिख निवासी गांव डिंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

——तरतीबी पक्षकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वकील—

1. श्री नरेन्द्र चुघ एडवोकेट — प्रार्थीया की ओर से
2. श्री अमित त्यागी एडवोकेट — अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक—12.08.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के दादा लालसिंह पुत्र चननसिंह जाति नाईसिख निवासी चक 6 केके तहसील पदमपुर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 बीएनएम तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.—01 पत्थर सं.—334/397 का किला नं.—5 में 0.088 हैक्टर, किला नं.—6 में 0.253 हैक्टर, किला नं.—7 में 0.025 हैक्टर, किला नं.—14 में 0.028 हैक्टर, किला नं.—15 में 0.253 हैक्टर, किला नं.—16 में 0.253 हैक्टर, किला नं. —17 में 0.253 हैक्टर, किला नं.—18 में 0.038 हैक्टर, किला नं.—23 में 0.19 हैक्टर, किला नं.—0.253 हैक्टर, किला नं.—18 में 0.038 हैक्टर, किला नं.—23 में 0.19 हैक्टर, किला नं. —24 में 0.253 हैक्टर किला नं.—25 में 0.253 हैक्टर कुल 2.087 हैक्टर नहरी भूमि पुख्ता आवंटित हुई थी। प्रार्थीया के दादा लालसिंह का निवसीयती देहांत हो चुका है। प्रार्थीया के दादा लालसिंह के देहांत के बाद उक्त कृषि भूमि लालसिंह के वारिसान यानि उसके तीन पुत्रों गुलजारसिंह अप्रार्थी सं.—01 दलीपसिंह व जगजीतसिंह को 1/3, 1/3 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं.—01 दलीपसिंह के दोनों भाई दलीपसिंह व जगजीतसिंह का देहांत हो चुका है। चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रमाणित [illegible] संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया यहा यह दर्ज करना उचित समझती है कि प्रार्थीया के दादा श्री लालसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त कृषि भूमि की आय से अप्रार्थी सं.—01 के नाम से चक 31 एपीडी ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—15 पत्थर सं.—[illegible]/402 का किला नं. —2/2 में 0.203 हैक्टर, किला नं.—3 में 0.253 हैक्टर किला नं.—8 में 0.253 हैक्टर, किला नं.—13 में 0.253 हैक्टर, किला नं.—18 में0.253 हैक्टर, किला नं.—23 में 0.228 हैक्टर, किला नं.—24/2 में 0.076 हैक्टर कुल 1.519 हैक्टर नहरी मय खाला जरिए बैयनामा खरीद कर दी थी। इस पर चक 1 बीएनएम तथा चक 31 एपीडी ए की कृषि भूमि पर प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.—01 का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे प्रार्थना पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.27 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज किया जावेगा। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 1 बीएनएम की कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 का अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुई तथा चक 31 एपीडी ए की कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा द्वारा अपने जीवनकाल में चक 1 बीएनएम की कृषि भूमि की आय से अप्रार्थी सं.–1 के नाम से जरिए बैयनामा खरीद की थी। अर्थात वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं.–01 की पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थी सं.–01 के परिवार के प्रत्येक सदस्य अर्थात प्रार्थीया का सहदायिकी के रूप में हिस्सा बनता है चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता के वारिस के रूप में दर्ज हुई है इसलिए उक्त भूमि केवल अप्रार्थी सं.–01 की ही नही बल्कि प्रार्थीया भी सहदायिकी के रूप में अपने 1/3 हिस्सा के मालिक है। अप्रार्थी सं.–1 शराबी किस्म का व्यक्ति है। प्रार्थीया के दादा के पास अन्य सम्पति भी थी। अप्रार्थी सं.–01 शराबी किस्म के होने के कारण अपने शराब के नशे की लत का पुरा करने के लिए वादग्रस्त भूमि को आगे बेचने की फिराक में है यदि अप्रार्थी सं.–01 उक्त भूमि को आगे बेचान करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। उक्त भूमि में प्रार्थीया का हित निहित है। क्योंकि अप्रार्थी सं.–01 की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि में प्रार्थीया व तरतीबी पक्षकार माया भी हिस्सेदार है इसलिए प्रार्थीया वादग्रस्त पैतृक सम्पति में से अपना 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। उपरोक्त कृषि भूमि की आय के अलावा आय का अन्य कोई जरिया नही है जिससे कि प्रार्थीया का भरण पोषण हो सके। अप्रार्थी सं.–01 ने प्रार्थीया व उसकी माता के साथ अक्सर मारपीट करता है। प्रार्थीया व इनकी माता ने अप्रार्थी ने अप्रार्थी 01 को समझाया कि वह इस कृषि भूमि को बेचान कत करे, उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा उनके भरण पोषण का अन्य कोई जरिया नही है। इस बात से अप्रार्थी सं.–01 नाराज हो गया और कहने लगा कि वादग्रस्त भूमि मेरे नाम से है, मैं तुम्हे इसमें कोई हिस्सा नही दूंगा और वादग्रस्त भूमि को औने पौने दामों मे बेच दूॅगा। वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीया, तरतीबी पक्षकार माया व अप्रार्थी सं.–01 की पैतृक सम्पति है जिसमें बतौर सहदायिकी प्रार्थीया, तरतीबी पक्षकार माया व अप्रार्थी सं.–01 बहिस्सा बराबर यानि 1/3 – 1/3 हिस्से के हकदार है। प्रार्थीया का यह विधिक अधिकार है कि वह अपने सम्पति संबंधी अधिकारों की रक्षा करे तथा अपने सम्पति का उपयोग व उपभोग करें। अप्रार्थी सं.–01 ने स्पष्ट ऐलानिया धमकी दी है कि वह वादग्रस्त भूमि अन्यत्र बेचान कर देगा यदि अप्रार्थी सं.–01 अपने इस अवैध आशय में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थीया अपने हितों की सुरक्षा के लिए अप्रार्थी सं.–01 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी–1 की तरफ से अधिवक्ता श्री अमित त्यागी ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 1 बीएनएम तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.–01 पत्थर सं.–334/397 का किला नं.–5,6,7,14,15,16,17,18,23,24,25 की कुल 2.087 हैक्टर नहरी भूमि पुख्ता आवंटित होना स्वीकार [illegible] गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि मन अप्रार्थी के पिता [illegible] के बाद मृतक लालसिंह के तीन वारिसान ना होकर चार [illegible] सिंह, जगजीत सिंह व रणजीत सिंह है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में [illegible] लालसिंह के सभी वारिसान का ¼-¼ हिस्सा निहित है। चक 30 एपीडी ए तहसील [illegible]पगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–332/402 का किला नं.–8,13,18,23,24 की कुल 1.519 हैक्टर नहरी मय खाला मन अप्रार्थी स्वअर्जित कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि मन अप्रार्थी की जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक–15.01.2001 को खरीद की गई है तथा खरीद के रोज से मन अप्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त कृषि भूमि मन अप्रार्थी के पिता लालसिंह को आवंटित कृषि भूमि की आय से खरीद नही की गई है बल्कि मन अप्रार्थी द्वारा स्वयं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.27 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

आय से खरीद की गई है। चक 1 बीएनएम की कृषि भूमि मन अप्राथी सं.–01 को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त होना स्वीकार है लेकिन चक 31 एपीडी की कृषि भूमि मन अप्रार्थी की स्वअर्जित कृषि भूमि है जो मन अप्रार्थी की स्वयं की आय से खरीद की गई है। इसलिए चक 31 एपीडी की कृषि भूमि किसी प्रकार से सहदायिकी नही है तथा ना ही उक्त भूमि मे प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक वा हिस्सा निहित है। अप्रार्थी कतई शराबी नही है ना ही अपनी पत्नी यानि प्रार्थीया की माता से किसी प्रकार की मारपीट की गई है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी स्वयं व उसके परिवार के भरण पोषण का जरिया है। प्रार्थीया ने उक्त मद में समस्त तथ्य प्रकरण की नोईयत को पूरा करने के लिए दर्ज किए है। प्रार्थीया को मन अप्रार्थी के खिलाफ कोई वाद कारण प्राप्त नही है। वाद कारण के अभाव में वाद प्रार्थीया निरस्ती योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने की स्थिति में मन अप्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी क्योंकि स्थगन आदेश जारी किए जाने से मन अप्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जावेगा। इसलिए प्रार्थीया माननीय अदालत से किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावें। खर्चा जवाबदेही दिलाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के दादा लालसिंह पुत्र चननसिंह जाति नाईसिख निवासी चक 6 के के तहसील पदमपुर के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 बीएनएम तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.–01 पत्थर सं.–334/397 का किला नं.–5 में 0.088 हैक्टर, किला नं.–6 में 0.253 हैक्टर, किला नं.–7 में 0.025 हैक्टर, किला नं.–14 में 0.028 हैक्टर, किला नं.–15 में 0.253 हैक्टर, किला नं.–16 में 0.253 हैक्टर, किला नं.–17 में 0.253 हैक्टर, किला नं.–18 में 0.038 हैक्टर, किला नं.–23 में 0.19 हैक्टर, किला नं.– 0.253 हैक्टर, किला नं.–18 में 0.038 हैक्टर, किला नं.–23 में 0.19 हैक्टर, किला नं.–24 में 0.253 हैक्टर किला नं.–25 में 0.253 हैक्टर कुल 2.087 हैक्टर नहरी भूमि पुख्ता आवंटित हुई थी। प्रार्थीया के दादा लालसिंह का निवसीयती देहांत हो चुका है। प्रार्थीया के दादा लालसिंह के देहांत के बाद उक्त कृषि भूमि लालसिंह के वारिसान यानि उसके तीन पुत्रों गुलजारसिंह अप्रार्थी सं.–01 दलीपसिंह व जगजीतसिंह को 1/3,1/3 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं.–01 दोनों भाई दलीपसिंह व जगजीतसिंह का देहांत हो चुका है। प्रार्थीया के दादा श्रीलालसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त कृषि भूमि की आय से अप्रार्थी सं.–01 के नाम से चक 31 एपीडी ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–332/402 का किला नं.–2/2 में 0.203 हैक्टर, किला नं.–3 में 0.253 हैक्टर किला नं.–8 में 0.253 हैक्टर, किला नं.–13 में 0.253 हैक्टर, किला नं.–18 में0.253 हैक्टर, किला नं.–23 में 0.228 हैक्टर, किला नं.–24/2 में 0.076 हैक्टर कुल 1.519 हैक्टर नहरी मय खाला जरिए बैयनामा खरीद कर दी थी। इस पर चक 1 बीएनएम तथा चक 31 एपीडी ए की कृषि भूमि पर प्रार्थीया के पिता अप्राथी सं.–01 का क[illegible] चला आ रहा है जिसे प्रार्थना पत्र में आयंदा वादग्रस्त कृषि भूमि [illegible] प्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 1 बीएनएम की कृषि भूमि अप्रार्थी [illegible] को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त हुई तथा चक 31 एपीडी ए की कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा द्वारा अपने जीवनकाल में चक 1 बीएनएम की कृषि भूमि की आय से अप्रार्थी सं.–1 के नाम से जरिए बैयनामा खरीद की थी। अर्थात वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं.–01 की पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थी सं.–01 के परिवार के प्रत्येक सदस्य अर्थात प्रार्थीया का सहदायिकी के रूप में हिस्सा बनता है चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं.–01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता के वारिस के रूप में दर्ज हुई है इसलिए उक्त भूमि केवल अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talani
Date: 2022.09.27 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

सं.–01 की ही नही बल्कि प्रार्थीया भी सहदायिकी के रूप में अपने 1/3 हिस्सा के मालिक है। इसलिए प्रार्थीया वादग्रस्त पैतृक सम्पति में से अपना 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। उपरोक्त कृषि भूमि की आय के अलावा आय का अन्य कोई जरिया नही है जिससे कि प्रार्थीया का भरण पोषण हो सके। वादग्रस्त सम्पति प्रार्थीया, तरतीबी पक्षकार माया व अप्रार्थी सं.–01 की पैतृक सम्पति है जिसमें बतौर सहदायिकी प्रार्थीया, तरतीबी पक्षकार माया व अप्रार्थी सं.–01 बहिस्सा बराबर यानि 1/3–1/3 हिस्से के हकदार है। अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि अन्यत्र बेचान करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थीया अपने हितों की सुरक्षा के लिए अप्रार्थी सं.–01 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाके चक 1 बीएनएम तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.–01 पत्थर सं.–334/397 का किला नं.–5, 6,7, 14,15,16,17,18,23,24,25 की कुल 2.087 हैक्टर नहरी भूमि पुख्ता आवंटित होना स्वीकार है। अप्रार्थी के पिता लालसिंह के देहांत के बाद मृतक लालसिंह के तीन वारिसान ना होकर चार जायज वारिसान क्रमशः अप्रार्थी, दलीपसिंह, जगजीत सिंह व रणजीत सिंह है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में मृतक लालसिंह के सभी वारिसान का ¼-¼ हिस्सा निहित है। चक 30 एपीडी ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–332/402 का किला नं. –8,13,18,23,24 की कुल 1.519 हैक्टर नहरी मय खाला मन अप्रार्थी स्वअर्जित कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि मन अप्रार्थी की जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक–15.01.2001 को खरीद की गई है तथा खरीद के रोज से मन अप्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त कृषि भूमि मन अप्रार्थी के पिता लालसिंह को आवंटित कृषि भूमि की आय से खरीद नही की गई है बल्कि मन अप्रार्थी द्वारा स्वयं की आय से खरीद की गई है। चक 1 बीएनएम की कृषि भूमि मन अप्राथी सं–01 को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त होना स्वीकार है लेकिन चक 31 एपीडी की कृषि भूमि मन अप्रार्थी की स्वअर्जित कृषि भूमि है जो मन अप्रार्थी की स्वयं की आय से खरीद की गई है। इसलिए चक 31 एपीडी की कृषि भूमि किसी प्रकार से सहदायिकी नही है तथा ना ही उक्त भूमि मे प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई हक वा हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निरस्ती योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने की स्थिति में मन अप्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी क्योंकि स्थगन आदेश जारी किए जाने से मन अप्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जावेगा। इसलिए प्रार्थीया माननीय अदालत से किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

चक 31 एपीडी ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–15 पत्थर सं.–332/402 का किला नं.–8,13,18,23,24 की कुल 1.519 हैक्टर नहरी मय खाला मन अप्रार्थी स्वअर्जित कृषि भूमि है। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो रिकॉर्ड के तथ्य है अप्रार्थी सं.–1 उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है। अप्रार्थी सं.–1 के किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नही बनता है। अप्रार्थी उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में उपयोग, उपभोग, रहन बैय व इन्तकाल करने ... प्रकार की विधिक अधिकारी है। फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण:– यह स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थीया का पिता है। चक 1 बीएनएम की विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talar
Date: 2022.09.27 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

इंतकाल दर्ज होने से प्राप्त हुई है। एवं चक 31 एपीडी की कृषि भूमि अप्रार्थी के द्वारा जरिए बैयनामा प्राप्त हुई है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के पिता से चक 1 बीएनएम की कृषि भूमि वारिसान प्राप्त होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण चक 1 बीएनएम की भूमि की हद तक प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

2. सुविधा का संतुलनः—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है, विवादित कृषि भूमि चक 1 बीएनएम की अप्रार्थी सं.–1 को वारिसान इंतकाल दर्ज होने से प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में वाद के विचारण के दौरान यदि अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है एवं मूल वाद का निर्णयन गुणावगुण पर सुनवाई पश्चात वादी के पक्ष में होता है तो न केवल प्रार्थीया को असुविधा होगी वरन् भविष्य में लिटीगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

3. अपूर्णीय क्षतिः—जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है चक 1 बीएनएम की विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता को वारिसान इंतकाल दर्ज होने पर प्राप्त हुई थी। यदि अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो परिवार के शेष सदस्यों एवं प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीया अपने सम्पति के अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके चक 1 बीएनएम तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नं.–01 पत्थर सं.–334/397 का किला नं.–5,6,7,14,15,16,17,18,23,24,25 की कुल 2.087 हैक्टर नहरी भूमि रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक–12.08.2022 को सरेआम सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.27 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested